

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुकम	मुकदमा सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं.
---------------	------------	-----------------------------------	-----

24/09/2025


पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप0। प्रा0 पत्र अं0 आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर बहस वकूलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 07.10.2025 को पेश हो।

07/10/2025

वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकूलाय उप0। प्रा0 पत्र अं0 आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवम् बहस वकूलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 बाबत पत्थरगढी पेश किया गया हैं। विवादित भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में किया जा चुका हैं। विवादित भूमि का प्रार्थी मोहनलाल अकेला खातेदार काश्तकार हैं। अतः प्रा0 पत्र अं0 आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाने योग्य नहीं पाये जाने पर न्यायहित में खारिज किया जाता हैं। मूल प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थी एकप्रक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2024 को करवा दिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 30.05.2024 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 30.05.2024 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

नंबर व तारीख हुकम	मुकदमा सं. हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>आदेश</u>	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 5324/4476, 5326/4477 कुल किता 02 कुल रकबा 1.7450 है0 में प्रार्थी तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 30.05.2024 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना</p>	